Need to Improve Implementation of Tea Plantation Act and other Labour Laws

श्री पृथ्वी माझी : (असम) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विशेष उल्लेख के जरिये सरकार और सदन का ध्यान चाय बागानों में मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में दिलाना चाहता हूं । महोदय, असम में 758 चाय बागान हैं और वहां पर स्थायी और अस्थायी दोनों को मिलाकर कुल 10 लाख से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं । हमारे देश को जो करोड़ों का फारेन एक्सचेंज अर्न होता है, सिर्फ चाय से होता है । महोदय, असम देश की चाय के कुल उत्पादन का 97 प्रतिशत पदा करता है । लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो ये 10 लाख से ज्यादा मजदूर वहां पर काम करते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । असम के चाय बगानों के मजदूरों को जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है वह बहुत ही दुखजनक है और इसके कारण बहुत से लोग बीमारी से पीड़ित हैं । वहां पर जो अस्पताल है वे ब्रिटिश युग में बनाये गये थे और वे अभी भी उसी प्रकार से चल रहे हैं । इनमें कोई भी इम्प्रूवमेंठ नहीं किया जा रहा है । चाय बागानों के मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में जो संवैधानिक प्राविजन है, टी प्लांटेशन ऐक्ट, इंडस्ट्रियल ऐक्ट और फैक्टरी ऐक्ट आदि जो ऐक्ट हैं वे चाय बगानों के मजदूरों के लिये हैं । लेकिन ये केवल नाम मात्र के हैं क्योंकि इनका वहां पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है जो कि बड़ी दुखजनक बात है । अगर आप देखें तो चाय बगानों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य का परसन्टेज और मजदूरों के मुकाबले क्या है, आप इसके बारे में विचार करें । जो चाय बगान के मजदूर हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां हैं । यह भी देखा गया है कि जो फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर हैं, टी डस्ट की वजह से वहां पर अधिकतर लोग टी० बी० की बीमारी से बीमार हो जाते हैं । इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि वह प्रदेश सरकार को कहें जो जो ऐक्ट इनके लिये बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो । इसके लिये वे प्रदेश सरकार को डाइरेक्शन दें । मैं फिर केंद्रीय सरकार से मांग करता हूं कि केंद्रीय सरकार इस ओर अधिक ध्यान दें और सरकार ऐसे कदम उठाये ताकि चाय बगानों के अस्पतालों में मेडिकल फैसिलिटीज की अवस्था में सुधार हो सके । यही कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

Pitiable Condition of Labourers from Bihar Working in Industrial Units in Delhi and other Places

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही दुखद और संगीन मामला उठाना चाहता हूं और सदन के माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

मान्यवर, जो बिहार और पूर्वी इलाकों के मजदूर दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में यहां के कारखानों में खटते हैं उनकी जिंदगी चूहे और बिल्ली से भी ज्यादा बदतर है । इन कारखानों में जो मजदूर हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है । दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कारखानों में कोई नियम, कायदा-कानून लेबर ला के बाद भी लागू नहीं है । इसकी वहां पर कोई बात नहीं है । मैं यहां पर खासकर ओखला क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं जहां पर कि एक बहुत भयानक घटना घटी है । उस घटना से पता चलता है कि कानून के प्रति यहां के पूंजीपतियों की कैसी दृष्टि है, कानून को कैसे रौंदते हैं और सरकार मूंह ताकती रहती है । सरकारी बेंचों में बैठे हुए लोग, यहां के एम० पी०, सरकार के मंत्री उन पूंजीपतियों से पोषित होते हैं और उनके बारे में सुरक्षा करते हैं । उस घटना का वर्णन मैं कर देता हूं । ओखला औद्योगिक क्षेत्र की पूजा स्टील कम्पनी में 10 तारीख को जो घटना घटी वह 6 बज कर 30 मिनट पर भट्टी में स्क्रैप डालते वक्त भट्टी में एक भयानक विस्फोट हुआ था उसके फलस्वरूप करीब एक दर्जन व्यक्ति घायल

हुए उसमें पांच व्यक्तियों की हालत एकदम चिन्ताजनक थी जिसमें एक श्री रघुबीर सिंह और पुनई यादव की मृत्यु 10 अगस्त को हो हो गई जिसकी लाश पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद उनके रिश्तेदारों को नहीं दी और स्वयं लाश को जला दिया ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री वी० नारायणसामी) पीठासीन हुए]

रघुबीर सिंह की पत्नी और उनकी बहन लाश देखने के लिए तड़पती रही लेकिन उन्हें मार कर के भगा दिया गया उनको केवल इतना ही कहा गया जबरदस्ती उनके रिश्तेदारों से हस्ताक्षर करा लिये (**व्यवधान**) रह ऐसी घटना घटी है कि पुलिस ने सारे कायदे कानून तोड़ कर उनको मार कर भगा दिया लाश को जलाने के लिए उनके रिश्तेदारों को नहीं दिया । उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि दुश्मन की लाश भी मिलती है तो रिश्तेदारों को दी जाती है लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के ए०सी०पी० श्री रंगनाथन, थाना कालकाजी, राजबीर सिंह, चौकी इन्चार्ज ओखला स्टेट और अनिल कुमार ओझा, ए०सी०पी०, थाना लाजपत नगर, इन लोगों ने मिल कर यह सारा कुकर्म किया और कायदे कानून को तोड़ा । थे इस सम्बन्ध, मैं और कुछ कहने के लिए पहले इतनी बात कह देना चाहता हूं कि इस सरकार को खास कर के गृह मन्त्री को बहुत गम्भीरता से इस मामले को लेना चाहिये । मजदूरों के बीच में बहुत भयानक स्थिति पैदा हो रही है और एक्सप्लोसिव सिचुएशन पैदा हो गई है और सारे इन्डस्ट्रीयल इस्टेट के लोगों में यह आशंका हो गई हैं कि यहां उनकी जिन्दगी सुरक्षित नहीं है । यहां तीन तरह के तत्व काम कर रहे हैं । मैं पढ़ देता हूं जो मैंने लिखा हैं । रिश्तेदारों से जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिये गये । मथुरा सिंह की मृत्यु 11-8-89 को रात में सफदरजंग अस्पताल में हो गई । दो आदमियों की मृत्यु पहले 10 तारीख को हो गई थी । पोस्टमार्टम के बाद...

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : कहानी मत सुनाइये ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह सुन कर आपको दर्द हो रहा हैं या नहीं । (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please complete now. You have taken more than four minutes. Try to complete now. Special mention is only for three minutes. Kindly try to complete. That is what I am saying.

श्री राम अवधेश सिंह : आप इस बात को जरा समझें बहुत भयानक स्थिति है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I am listening to you. Try to conclude.

श्री राम अवधेश सिंह : आप जरा कृपा कर के मेरी बात को ठीक से सुन लीजिये । दिल्ली में ऐसी स्थिति है वहां के पूंजीपति, उद्योगपति, पुलिस पदाधिकारी और कुछ गुण्डे और साथ साथ कुछ जो राजनेता हैं उनके प्रोत्साहन से बिहार के और पूर्वी एरिया के जो मजदूर हैं यहां काम कर रहे हैं कारखानों में उनकी हालत को बहुत तबाह किये हुए हैं । उनको कुत्ते बिल्ली भी नहीं समझते हैं और इस समय क्या स्थिति है आप जानते हैं ? आपको यह मालूम होना चाहिये कि 8 महीने लगातार काम नहीं करने देते दिल्ली के उद्योगपति और सात महीने छः महीने काम करा कर के एक महीना हटा देते हैं । और फिर उनको एक महीना के बाद काम देते हैं ताकि 240 दिन लगातार काम नहीं करने पाए ताकि उसको पक्की नौकरी मिले । इस तरह से सारे पूर्विया मजदूरों का शोषण चल रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस कारखाने में यह घटना घटी हैं, यह तीसरी घटना है 6 महीने में तीन बार ब्लास्ट फर्नेस में विस्फोट हुआ । पहली बार फरवरी में, दूसरी घटना मई में हुई और अब की बार 10 अगस्त को यह घटना घटी है ।

[श्री राम अवधेश सिंह]

लेकिन उस उद्योगपति ने, उस कारखाना, मालिक ने उस पर कोई भी संशोधन करना नहीं चाहा, कोई सुधार नहीं करना चाहा । मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो तीन आदमी मरे हैं वह तीनों घटनाओं में आग के विस्फोट से जो भट्टी को गलाने वाली तीनों बार वह दस आदमी घायल हुए थे । इसका मतलब है जो सेफ्टी मेजर्ज कारखाने में होने चाहिएं उसके बारे में फैक्टरी इंस्पैक्टर देखने नहीं जाते हैं, लेबर इंसपैक्टर नहीं जाते हैं, लेबर आफिसर नहीं जाते हैं और लेबर मिनिस्ट्री पूरी तरह से सोई हुई है । मैं आपके माध्यम से इस स्पेशल मेंशन के जरिए मैं लेबर मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साथ ही साथ श्रम मिनिस्टर का भी ध्यान खींचना चाहता हूं कि यह बहुत ही विस्फोटक स्थिति वहां पल रही है और सारे दिल्ली में 20 लाख मजदूर केवल बिहार के हैं । इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं । ...(व्यवधान)... राजस्थान के भी हैं लेकिन राजस्थान के इसके अलावा हैं । हो सकता है दो लाख चार लाख वह भी हो । लेकिन मैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कह रहा हूं, मान्यवर और मैं यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं और इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो गरीब हैं उसमें हरिजन हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनकी पहुंच सरकारी मशीनरी तक नहीं है, उनके साथ यह दुर्व्यवहार होता है जिनकी पहुंच है उनके साथ जुल्म थोड़ा कम होता है क्योंकि वे सरकार तक पहुंच जाते है । लेकिन यह जो पूंजीपति हैं वह कोई कानून नहीं मानते हैं । मैं चाहता हूं कि यह जो पूजा स्टील कम्पनी का मालिक है उसको गिरफ्तार किया जाए । मैं एक बात कहना चाहता हूं, मान्यवर, एक नहीं सैकड़ों आदमी प्रति वर्ष मारे जाते हैं सेफ्टी मेजर्ज की उपेक्षा की वजह से सेफ्टी मेज यहां कहीं नहीं चलते हैं । कारखाने में कोई नियम नहीं चलते हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और श्रम मंत्रालय से चाहूंगा कि जो लेबर लाज हैं, लेबर के कानून हैं उन कानूनों का पालन कराया जाए कम्पेंसेशन दिलाया जाए और दो-दो लाख से कम कम्पेंसेशन जान जाने पर, किसी की हत्या हो जाने पर नहीं दिया जाए । साथ ही, इस पूजा स्टील फैक्टरी के मालिक को गिरफ्तार करके उस पर इस बात का केस चलाया जाए कि यह पहली घटना फरवरी में विस्फोट की हुई उसमें कारखाने की रिपेयर नहीं कराई गई । ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस्पात मंत्री से कहिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : इस्पात मंत्री तो दूसरी लाइन के आदमी हैं । इस्पात मंत्री को तो माल-पानी जाता है, चाहे तो वह काम खराब से खराब करा देंगे लेकिन उनको माल-पानी चाहिए । 400 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे जहां 100 करोड़ रुपया खर्च करना है । तो मैं यह कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please conclude now. You have already taken ten minutes.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: I am concluding, Sir. I respect you.

मैं केवल एक निवेदन आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं कि जो स्थिति यहां इंडस्ट्रियल क्षेत्र में है वह बहुत विस्फोटक है और आज या कल ऐसी विस्फोटक स्थिति हो जाएगी जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सहने की एक सीमा है । जो 750 रुपया सरकार ने प्रति मजदूर का मिनिमम मजदूरी तय किया है मासिक उसको कोई कारखाने वाला नहीं करता इसकी जांच कराई जाए और गृह मंत्रालय इसकी जांच कराए । क्या मैंने यह जो बात कही वह गलत है या सही है और अगर गलत हो तब तो बात अलग है लेकिन यहां जो गुंडा तत्व है, गुंडा जो इंडस्ट्रियल बैल्ट में काम कर रहे हैं, मान्यवर, वह कारखाने वालों से मिल कर अगर कोई मजदूर कहता है हमको पक्का बनाओ... । हम आठ महीना काम कर

चुके हैं, 240 दिन काम कर चुके हैं, अगर ऐसा कहता है तो गुंडों से पिटवाता है, गुंडों से उद्योगपति उसका हाथ-पैर तुड़वा देता है । गुंडा आदमियों को उद्योगपति रखता है, मजदूरों को मारकर भगा देते हैं । यह सारी आज अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है । इसमें भारत सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्यवाही करे और जो मजदूर हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई पदाधिकारी भेजे क्योंकि उनके सारे लेबर आफिसर उनसे मिले रहते हैं, फैक्टरीज इंसपैक्टर मिले रहते हैं ।

महोदय, सेफ्टी मेजर्स कहीं नहीं हैं । जिस फैक्टरी में यह घटना घटी है, उसमें कनटोप नहीं है, जूता नहीं है, किसी मजदूर को यह चीजें नहीं दी गई हैं; बल्कि सेफ्टी-मेजर्स में, स्टील फैक्टरी में कनटोप होना चाहिए, जूता होना चाहिए, दास्ताना होना चाहिए । यह कुछ भी उसमें नहीं हैं, मैंने जाकर खुद देखा है और भी फैक्टरियों में जाकर मैंने देखा है, तमाम फैक्टरियों में एक ही हालत है । **(समय की घंटी)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You have already taken 12 minutes. Please conclude. Only three minutes are given for a Special Mention.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: I am concluding, Sir.

मेरी अंतिम मांग है केवल सरकार से कि जो पूर्विया मजदूर हैं, उनके साथ अन्याय न हो और सरकार अपने मैजर्स खड़े करे । जो उद्योगपति कानून का उल्लंघन करें, उसमें से तीन-चार-पांच पर कानूनी कार्यवाही की जाये, उनको हथकड़ी पहनाकर घुमाया जाये सड़क पर ताकि दूसरे लोग डर कर मजदूरों के साथ जुल्म न कर सकें और मजदूरों के साथ न्याय करें । धन्यवाद ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं राम अवधेश सिंह जी ने जो कुछ कहा है, इससे अपने को संबद्ध करता हूं । मान्यवर, यह घटना बिल्कुल सही है । सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करवाए और इसके संबंध में कड़ी कार्यवाही करे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो । जो मृतक हैं, उनको अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाये ।

Alleged Irregularities in the Purchase of Land by Maruti Udyog

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्राम भौंडसी, तहसील सोना, जिला गुड़गांव में मारुति उद्योग ने मई, 1989 में एक फार्म की, चलते फार्म की सौ एकड़ जमीन रजिस्ट्री का खर्चा लगाकर चार करोड़ रुपए में क्रय की है, जिसका मतलब हुआ चार लाख रुपए एकड़ । क्रय करने के लिए जो सरकारी एजेन्सी थी, हुडा, उसका भी सहयोग नहीं लिया गया बल्कि एक दलाल की मार्फत उस फार्म को खरीदा गया । मान्यवर, जिस दिन यह जमीन खरीदी गई, उससे केवल दो दिन पेशतर, दो दिन पहले वहीं साठ हजार रुपए एकड़ जमीन खरीदी गई है, जिसका मतलब यह हुआ कि दो दिन बाद साढ़े छह गुनी कीमत देकर, यानी साठ हजार रुपए एकड़ जमीन और वहीं चार लाख रुपए एकड़, में जमीन खरीदी गई है । जाहिर है कि यह एक खुली लूट है और मारुति उद्योग के धन का दुरुपयोग है ।

मान्यवर, कुछ दिन पूर्व चक्करपुर गांव में 26 एकड़ जमीन मारुति उद्योग ने क्रय की थी हाऊसिंग सोसायटी के मेम्बर्स के मकानात बनाने के लिए और जिस पर मकान बन रहे हैं, जो अगले अगस्त, 1990 तक बनकर तैयार हो जाएंगे । हाऊसिंग सोसायटी के मेम्बर्स की संख्या है 1525 और मकान बन रहे हैं 1100, बकी 425 रह जाते हैं, वह 26 एकड़ में और अब खरीदी गई जमीन सौ एकड़ में । इसलिए यह बिल्कुल सरासर गलत है, लूट है, धन का दुरुपयोग है ।

मान्यवर, पहले जो जमीन चक्करपुर में खरीदी गई थी, वह सरकारी एजेन्सी जो है—हुडा, उसके मार्फत खरीदी गई और